| | | |
|---|---|---|
| 08/01/26 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप.। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाकर आज शामिल किया गया। पत्र जारी हो नियम से दर्ज हो।<br><br>आदेश सुनाया गया।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>सूरतगढ़ (राज.) | GLCMS<br>2024/5 |

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai
Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः भरत जयप्रकाश मीना आई. ए. एस.

प्रकरण सं0 8/24 GCMS-2024/5 दायर दिनांकः– 03–01–2024

औमप्रकाश पुत्र श्री राधाकिशन जाति ब्राहम्ण साकिन देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

–––––––प्रार्थी

बनाम

1– श्याम सुन्दर पुत्र श्री श्योकरण
2– हेतराम पुत्र श्री श्योकरण
3– कमला पुत्री श्री श्योकरण
4–कान्ता देवी पुत्री श्री श्योकरण
5–लीलावती पुत्री श्री श्योकरण
6– सावित्रीदेवी पत्नी श्री श्योकरण

} अकवाम ब्राहम्ण साकिनान देईदासपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

7–राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

–––––अप्रार्थीगण

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) , 209 आर टी ए**

उपस्थित :–

1– श्री राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थी
2– श्री अजय कुमार अरोड़ा, कैलाश गोदारा अभिभाषक अप्रार्थी न0 1 ता 6
3– पैराकार राज नायब तहसीलदार सूरतगढ अप्रार्थी न0 7

### –:– निर्णय –:–

दिनांकः– 08·01·2026

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 ता 6 के अभिभाषकगण एवं पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 161/142 के खसरा न0 314 में 7.588 है0 बारानी दोयम , खसरा न0 343 में 5.059 है0 बारानी दोयम कुल 12.647 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 162/141 के खसरा न0 291 में 4.616 है0 बारानी दोयम , खसरा न0 295 में 5.059 है0 बारानी प्रथम , खसरा न0 312 में 8. 346 है0 बारानी दोयम , खसरा न0 342 में 6.071 है0 बारानी दोयम कुल 24.092 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/36 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी न0 1 ता 6 के नाम से भूमि वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 205/171 के खसरा न0 313 में 6.323 है0 बारानी दोयम, खसरा न0 344 में 6.323 है0 बारानी दोयम कुल 12.646 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी अपने रकबा वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 161/142 के खसरा न0 314 में 7.588 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए रोही देईदासपुरा के खसरा न0 312 के पश्चिम पासा में उतर से दक्षिण चल रहे मन्जूर शुदा आम रास्ता से अपनी संयुक्त खाता की भूमि खसरा न0 312 में उतर पासा में होते हुये अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की भूमि खसरा न0 313 के उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई में आवागमन लगभग 30–35 वर्ष [illegible] जा रहा है । लेकिन रोही देईदासपुरा के खसरा न0 313 में उतर पासा में [illegible] 16.5 फुट चौड़ाई में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत नही है । प्रार्थी [illegible] स्वीकृत रास्ता से होते हुये अप्रार्थी न0 1 ता 6 के रकबा में से अपने खेत में आवागमन करता आ रहा है । अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की भूमि रोही देईदासपुरा के खसरा न0 313 में उतर पासा में पश्चि[illegible] पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 ता 6 की भूमि वाके रोही देईदासपुरा के खसरा न0 313 में उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी उक्त रास्ता के बदले में भूमि के बदले में अपनी खातेदारी भूमि में से भूमि या डी एल सी दर से राशि जमा करवाने के लिए तैयार है। प्रार्थी के रकबा में जाने के लिए उक्त जैरवाद वाद रकबा में चल रहा रास्ता ही आवागमन का माध्यम है । इसके अलावा प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है । इसलिए प्रार्थी ने उक्त रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955 की धारा 251 (क) एवं राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के नियम 68–70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में उक्त प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की चाही गई रिपोर्ट भू–अभिलेख निरिक्षक एव पटवारी हल्का द्वारा बिन्दुवार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा तैयार कर भिजवाई गई।

रिपोर्ट के पश्चात प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी न0 1 ता 6 जरिये अभिभाषक अजय कुमार अरोड़ा एवं कैलाश गोदारा उपस्थित हुये । तथा अप्रार्थी न0 1 ता 6 के द्वारा दौराने कार्यवाही मौका निरीक्षण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर जबाब के पश्चात दोनो पक्षो को सुनने के बाद अप्रार्थी न0 1 ता 6 का प्रार्थना–पत्र दिनांक 18–02–2025 को निरस्त कर दिया गया । इसके उपरान्त अप्रार्थी न0 1 ता 6 ने प्रार्थना–पत्र. आदेश 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत किया जो जबाब के पश्चात दोनो पक्षो को सुनने के बाद अप्रार्थी न0 1 ता 6 का प्रार्थना–पत्र दिनांक 06–06–2025 को निरस्त कर दिया गया ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने रास्ता की मांग हेतू संयुक्त खाता के खसरा न0 314 की भूमि को अपनी भूमि होना बताया है जो की रिकार्ड के विपरीत है । विधिवत विभाजन के बिना कोई भी खातेदार किसी भी भाग को अपना नही कह सकता है ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध कथन के कारण प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करनो का कानूनी अधिकारी नही है । एवं खसरा न0 313 में किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता आज तक कभी भी चालु नही रहा है । खसरा न0 313 से प्रार्थी द्वारा कीाी आवागमन नही किया गया है। खसरा न0 312 की भूमि भी संयुक्त खाता की भूमि है जिसका भी अभी तक खाता विभाजन नही हुआ है। खसरा न0 312 की भूमि को प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि बताया गया है जो की रिकार्ड एवं विधिक रूप से गलत है खसरा न0 312 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि है । जिसमें पश्चिम से पूर्व में कोई भी रास्ता चालू नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा न0 313 में रास्ता चाहा गया है जो स्वयं की तकनिकी रूप से एवं विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्ध्योकि खसरा न0 313 में जहां से रास्ता मांगा गया है वो रास्ता किसी स्वीकृत शुदा रास्ता से जुड़ता ही नही है अतः इस कारण भी रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना–पत्र. 251 के के मानदण्डो के विपरीत होने के कारण निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया ।

इसके पश्चात प्रार्थी एवं अप्रार्थी न0 1 ता 6 के अभिभाषकगण एव पेरोकार राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी की संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही देईदासपुरा के खाता सं0 161/142 में कुल 12.647 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की संयुक्त खाता की भूमि वाके रोही देईदासपुरा के खाता सं0 162/141 की कुल 24.092 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में प्रार्थी का 1/36 हिस्सा खातेदारी भूमि एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 6 प्रत्येक का 1/36 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । अप्रार्थी [illegible] 6 के नाम से भूमि वाके रोही देईदासपुरा के खाता सं0 205/171 की कुल [illegible] है0 [illegible] खातेदारी भूमि बहिस्सा बराबर दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थी [illegible] देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 161/142 के खसरा न0 314 में 7.588 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि में आवागमन के लिए रोही देईदासपुरा के खसरा न0 312 के पश्चिम पासा में उत[illegible] से दक्षिण चल रहे मन्जूर शुदा आम रास्ता से अपनी संयुक्त खाता की भूमि खसरा न0 312 में उतर पासा में होते हुये अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की भूमि खसरा न0 313 के उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई में आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

लगभग 30–35 वर्षो से किया जा रहा है । लेकिन उक्त रास्ता स्वीकृत नही है । उक्त रास्ता स्वीकृत शुदा रास्ता न होने के कारण प्रार्थी अपने खातेदारी रकबा में आने जाने बाधा है । इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी न0 1 ता 6 की भूमि वाके रोही देईदासपुरा के खसरा न0 313 में उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई में वर्तमान में चल रहा रास्ता स्वीकृत करते हुये इसकी एवज में अपनी खातेदारी भूमि मे से रकबा देने का तैयार है तथा उक्त संयुक्त खाते के सभी कास्तकारो द्वारा रास्ता बाबत सहमति दी गई है । इसलिए रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के अभिभाषक के द्वारा जबाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने रास्ता की मांग हेतू संयुक्त खाता के खसरा न0 314 की भूमि को अपनी भूमि होना बताया है जो की रिकार्ड के विपरीत है । विधिवत विभाजन के बिना कोई भी खातेदार किसी भी भाग को अपना नही कह सकता है ऐसी स्थिति में विधि विरूद्ध कथन के कारण प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी नही है एवं खसरा न0 313 में किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता आज तक कभी भी चालु नही रहा है । खसरा न0 313 से प्रार्थी द्वारा कभी आवागमन नही किया गया है। खसरा न0 312 की भूमि संयुक्त खाता की भूमि है । जिसमें पश्चिम से पूर्व में कोई भी रास्ता चालू नही है। प्रार्थी द्वारा खसरा न0 313 में रास्ता चाहा गया है जो स्वयं की तकनिकी रूप से एवं विधिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य नही है क्योकि खसरा न0 313में जहां से रास्ता मांगा गया है वो रास्ता किसी स्वीकृत शुदा रास्ता से जुड़ता ही नही है अतः इस कारण भी रास्ता स्वीकृति का प्रार्थना–पत्र. 251 के के मानदण्डो के विपरीत होने के कारण निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो तथा तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थी अपने रकबा वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता सं0 161/142 के खसरा न0 314 में 7.588 है0 बारानी दोयम खातेदारी भूमि को किसी भी प्रकार का कोई भी वैक्लपिक रास्ता नही है । प्रार्थी को अपने रकबा में आवागमन के लिए रोही देईदासपुरा के खसरा न0 312 के पश्चिम पासा में उतर से दक्षिण चल रहे मन्जूर शुदा आम रास्ता से अपनी संयुक्त खाता की भूमि खसरा न0 312 में उतर पासा में होते हुये अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की भूमि खसरा न0 313 के उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई में चालू रास्ता आवागमन का एक मात्र माध्यम है । पत्रावली में प्रस्तुत भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा बिन्दूबार मौका जांच रिपोर्ट एवं नक्शा के अवलोकन से ही पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा वैक्लपिक रास्ता का अभाव है । प्रार्थी के रकबा को किसी प्रकार का कोई भी अन्य कोई रास्ता नही लगता है तथा प्रार्थी , अप्रार्थी न0 1 ता 6 की खातेदारी भूमि में रास्ता की भूमि के एवज में अपनी भूमि दी जा रही है । इन तमाम तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये अप्रार्थी सं0 1 ता 6 की भूमि वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खसरा न0 313 के उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई में चालू रास्ता स्वीकृत किया जाना सही है । इसलिए उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं0 1 ता 6 के नाम खातेदार भूमि रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खसरा न0 313 के उतर पासा में पश्चिम से पूर्व 3–10बीघा लम्बाई में व 16.5फुट चौड़ाई अर्थात 0.0875 है0 भूमि कलमजन कर गै0मु0 रास्ता के नाम अंकन करने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी के नाम संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके रोही देईदासपुरा तहसील सूरतगढ के खाता स0 161/142 के खसरा न0 [illegible] 0.0875है0 बारानी खातेदारी भूमि पश्चिम पासा (उतर में 16.5 फुट रास्ता को छो[illegible] ता 6 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर [illegible] हो । पत्रावली वाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.26 को खुले [illegible]ालय में सुनाया गया ।

( भरत जयप्रकाश मीना )
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.14 17:39:52 IST
Reason: SelfAttested